न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, संख्या-2 बयाना जिला भरतपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारीः-राजपाल मीना, आर0जे0एस0
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दीवानी अपील संख्या-04/2023 सीआईएस नम्बर-04/2023
सीएनआर नम्बर **RJBH070003062023**

रोशनलाल पुत्र ग्यासीराम निवासी उच्चैन तहसील उच्चैन जिला भरतपुर ---अपीलार्थी-वादी

बनाम

मंगती पुत्र शंकरलाल निवासी उच्चैन तहसील उच्चैन जिला भरतपुर (राज0) ---प्रत्यर्थी-प्रतिवादी

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 02.02.2023 न्यायालय सिविल न्यायाधीश, उच्चैन जिला भरतपुर व सिलसिले दीवानी वाद संख्या 15/2022 व0नवानी रोशनलाल बनाम मंगतीराम वाद बावत स्थाई निषेधाज्ञा।

उपस्थितिः
1-श्री महेन्द्रभूषण शर्मा अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी-वादी।
2-श्री नैमीचंद शर्मा, अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी

निर्णय **दिनांकः 18.08.2026**

अपीलार्थी-वादी की ओर से यह अपील विद्वान विचारण न्यायालय सिविल न्यायाधीश, उच्चैन जिला भरतपुर के आलोच्य निर्णय व डिक्री दिनांक 02.02.2023 व0नवानी प्रकरण रोशनलाल बनाम मंगतीराम में पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्व पेश की गई है।

अपीलार्थी की ओर से अपील इन संक्षिप्त तथ्यों की प्रस्तुत की गई है कि विचारण न्यायालय ने आलोच्य निर्णय व डिक्री विधि विरुद्व पारित की है। स्वीकृत रुप से वादी की मकानियत दुमंजिला बनी हुई है उक्त मकानियत की उत्तरी दीवाल में स्वीकृत रुप से चार रोशनदान लगे हुए है, उक्त२ रोशनदान के जरिये, हवा रोशनी मकानियत को प्राप्त हो रही है। वादी की मकानियत के तरफ उत्तर गली के पश्चात प्रतिवादी का नौहरा स्थित है। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा केवल मात्र अस्थाई लडामनी बना लिये

जाने से गली नहीं होना मानने में कानूनी भूल की है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी की जायदादे पूर्वजो की जायदादे है। अपीलार्थी के पूर्वजों के समय से ही पुख्ता मकानियत बनी हुई है। अपीलार्थी की पुख्ता मकानियत के तरफ उत्तर चपेटा से कोई जायदाद निर्मित नहीं है बल्कि खुली जगह है। प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी की मकानियत के तरफ उत्तर गली में नींव खोदना शुरू कर विवादित गली को दबाकर चपेटा निर्माण करने की धमकी दी जिसके कारण अपीलार्थी को वाद कारण उत्पन्न हुआ था और अपीलार्थी-वादी द्वारा दावा प्रस्तुत किया था। विचारण न्यायालय ने पूरब में दीवाल होना व चपेटा से पाटौर होना मानने में कानूनी भूल की है जबकि मौका कमिश्नर रिपोर्ट में पक्की दीवाल को (x) मार्क से दर्शित किया गया है और यह गली साडे तीन फुट चौडाई के बाद बनी हुई है तथा पूरब से पश्चिम सम्पूर्ण लम्बाई में लडामनी के अलावा चपेटा अन्य कोई दीवाल निर्मित नहीं है तथा पश्चिम से पूरब आम रास्ता तक उक्त जगह खाली है लेकिन विचारण न्यायालय ने विवाद्यक संख्या-6 व 7 को अपीलार्थी-वादी के विरूद्ध निर्णीत कर कानूनी त्रुटि की है। वादी ने वादपत्र में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि तरफ उत्तर में चार रोशनदान गली की ओर लगे हुए है जो वादी के हवा रोशनी के उपयोग व उपभोग के लिए उनके पूर्वजो के समय से ही मकानियत पुख्ता में लगे हुए है जिनका वादी सुखभोग अधिकार के रूप में स्वतन्त्रतापूर्वक निर्विघ्न रूप से उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। वादी ने जिरह में स्पष्ट किया है कि उत्तरी दीवार जिसमें रोशनदान लगे हुए है उसके जन्म से पहले ही लगे हुए है। सन 2008 में अपीलार्थी-वादी की उम्र 63 साल थी जिससे स्पष्ट है कि उक्त रोशनदान 50 साल पूर्व के लगे हुए है। प्रतिवादी ने वादी के उक्त रोशनदान लगे होना तो स्वीकार किया है। प्रतिवादी ने उक्त रोशनदान को सन् 1995 में लगे होना बताया है परन्तु प्रतिवादी के उक्त कथन विश्वसनीय नहीं है। वादी ने उक्त रोशनदान प्रतिवादी की अनुमति से नहीं लगाये है बल्कि पूर्वजो के समय से लगे हुए है। उक्त रोशनदानो को बन्द करने के लिए प्रतिवादी की ओर से कोई क्रौस दावा या काउण्टर क्लेम प्रस्तुत नहीं किया गया है इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने विवाद्यक संख्या-7 का निर्णय अपीलार्थी-वादी के विरूद्ध निर्णित कर भारी कानूनी भूल की है। विचारण न्यायालय ने विधि एवं साक्ष्य की सही विवेचना नहीं की है। साक्ष्य का गलत मूल्यांकन कर केवल मात्र प्रतिवादी के जवाब व प्रतिवादी की मौखिक साक्ष्य को विश्वसनीय मानकर गलत रुप से वादी का वाद खारिज कर विधिक भूल की है। अतः अपील,

अपीलार्थी स्वीकार कर विद्वान विचारण न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं डिक्री दिनांकित 02.02.2023 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

विचारण न्यायालय के अभिलेखानुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी के स्वामित्व व आधिपत्य का एक पुश्तैनी रिहायशी मकान कस्बा, उच्चैन में स्थित है जिसे वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में पीले रंग से प्रथम मंजिल व द्वितीय मंजिल को हरे रंग से प्रदर्शित किया गया है तथा विवादित स्थल को मार्क ए, बी, सी, डी से दर्शाया गया है। वादी के पुख्ता रिहायशी मकान के उत्तर में वादी व प्रतिवादी के संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य की गली है जिसका वर्णन वाद-पत्र के चरण क्रम-1 में दिया गया है। उक्त विवादित गली का वादी व प्रतिवादी संयुक्त रूप से उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे हैं तथा वादी के चार रोशनदान गली की ओर लगे हुए हैं जो वादी के हवा रोशनी के उपयोग व उपभोग के लिए उनके पूर्वजों के समय से ही मकान पुख्ता में लगे हुए है। उक्त विवादित गली के उत्तर में प्रतिवादी की पाटौर पोश खाली प्लाट है तथा प्रतिवादी उक्त प्लॉट पर निर्माण कराना चाहता है उक्त निर्माण की आड में प्रतिवादी उनके संयुक्त उपयोग व उपभोग की गली पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा कर लेना चाहता है जिस बाबत प्रतिवादी ने वादी के मकान से चपेटा नींव खोदना प्रारम्भ कर दिया है जिसका उसे किसी प्रकार का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी द्वारा दिनांक 03.02.2004 को जब मौके पर वादी के मकान के चपेटा नींव खोदना शुरू किया गया तो वादी ने प्रतिवादी से ऐसा करने से मना किया तो प्रतिवादी ने वादी को धमकी दी कि वे सम्पूर्ण गली को अपने स्वामित्व व आधिपत्य में ले लेंगे।अतः वाद, वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वाद पत्र की चरण संख्या-2 में वर्णित गली जिसे नक्शे में वरंग सुर्ख से दिखाया गया है, में वादी के स्वतंत्र उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे और ना ही उसकी मकानियत में स्थित रोशनदान जो विवादित गली की ओर लगे हुए हैं, को किसी प्रकार का निर्माण कार्य कर बंद नहीं करें और न ही उसके सुखभोग अधिकार में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करे।

प्रतिवादी की ओर से उक्त वाद का जवाब पेश कर कथन किया गया कि वाद-पत्र में वादी की उल्लेखित जायदाद में वादी के तीन भाईयों का भी हिस्सा है। वादी ने अपने भाईयों को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है। मार्क ए, बी, सी, डी से प्रदर्शित विवादित जायदाद से वादी का कोई संबंध व

सरोकार नहीं है। विवादित स्थल प्रतिवादी मंगतीराम के गैतवाडे का भाग है। वादी के मकान के उत्तर में वादी व प्रतिवादी के संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य की कोई गली स्थित नहीं है और ना ही उक्त गली का प्रतिवादी व वादी संयुक्त रूप से उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे हैं। वादी के मकान की दीवार में रोशनदान वादी के पिता ग्यासीराम द्वारा वर्ष 1995 में प्रतिवादी से अनुमति प्राप्त कर लगवाये गये थे तथा उन्होंने यह भी तय किया था कि प्रतिवादी जब भी मकान निर्माण कराएगा तब वादी अपने रोशनदान बंद कर लेंगे। उक्त विवादित गली के उत्तर में प्रतिवादी का खाली प्लॉट नहीं है बल्कि गैतवाडा है। वादी द्वारा जिस स्थान पर प्रतिवादी द्वारा नींव खोदना बताया गया है उस स्थान पर हमेशा से ईंटों की दीवाल बनी चली आ रही थी जो बरसात में गिर गयी थी उसी दीवाल वाली जगह को प्रतिवादी द्वारा पुनः निर्माण कराये जाने बाबत साफ कराया है और जिस पर प्रतिवादी को पुख्ता निर्माण कराये जाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी द्वारा दिनांक 03.02.2004 को कोई नींव नहीं खोदी गयी है और ना ही नींव खोदने से मना करने पर प्रतिवादी द्वारा वादी को किसी प्रकार की कोई धमकी दी गयी है। वादी के मकान के तरफ उत्तर चपेटा प्रतिवादी के स्वामित्व व आधिपत्य का गैतवाडा स्थित है जिसकी नाप जबाव दावे के चरण क्रम-10 में अंकित। अतः वादी का वाद मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया।

पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्न विवाद्यक यात कायम की गई-

1-आया वादी, प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से पाबंद कराने का अधिकारी है कि वह वाद पत्र की मद संख्या-2 में वर्णित विवादित स्थल में किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं करे और वादी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें ।

2-आया विवादित स्थल ए,बी,सी,डी वादी व प्रतिवादी की शामलाती गली नहीं है बल्कि यह प्रतिवादी के गैतबाडे का ही एक भाग है, जिस पर उसका स्वयं का अधिकार है?

3-आया वादी ने दावे में अपने अन्य तीन भाईयों को पक्षकार नहीं बनाया है इसलिए नॉन ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज का दावे में दोष विद्यमान होने के कारण वादी का वाद चलने योग्य नहीं है?

4-आया वादी का वाद सुखाधिकार के आधार पर चलने योग्य नहीं है?

5-आया प्रतिवादी वादी से विशेष हर्जा पांच हजार रुपये प्राप्त करने का अधिकारी है

अतिरिक्त विवाद्यक

6-आया वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शे में सुर्ख रंग से प्रदर्शित एवं ए,बी,सी,डी स्थान पर वादी एवं प्रतिवादी की शामलाती गली स्थित है जिसका उपयोग उपभोग उभय पक्ष करते चले आ रहे है?

7-आया वाद पत्र के साथ संलग्न मानचित्र में दर्शित दीवार ए,सी में वादी के मकान में चार रोशनदान उसके पूर्वजों के समय से कायम है जिनका हवा रोशनी हेतु वादी अपने पूर्वजों के समय से स्वतंत्रापूर्वक निर्विघ्न रुप से सुखाधिकार के रुप में उपयोग उपभोग कर रहा है?

8-अनुतोष

वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी0ड0-1 रोशनलाल, पी0ड0-2 छोटेलाल, पी0ड0-3 पूरन तथा पी0ड0-4 ताराचंद के बयान दर्ज कराये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श-1 नक्शा को प्रदर्शित कराया गया। प्रतिवादी पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में डी0ड0-1 मंगतीराम, डी0ड0-2 पंकज सरस, डी0ड0-3 भगवान सहाय, डी0ड0-4 रेखा व डी0ड0-5 रामसहाय को परीक्षित कराया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श ए-1 नक्शा, प्रदर्श ए-1 मौका कमिश्नर रिपोर्ट व प्रदर्श ए-2 नक्शा को प्रदर्शित कराया गया।

बहस उभय पक्ष सुनने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 01.11.2010 को वादी का वाद विरुद्व प्रतिवादी अस्वीकार कर खारिज किया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी रोशन की ओर से न्यायालय हाजा के समक्ष नियमित दीवानी अपील पेश की। उक्त अपील पर न्यायालय हाजा ने बाद सुनवाई अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रुप से स्वीकार कर प्रकरण को विद्वान विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया कि वे प्रकरण में निम्न दो अतिरिक्त विवाद्यक कायम कर उक्त विवाद्यक यात के सम्बंध में साक्ष्य का पर्याप्त अवसर देने के बाद नये सिरे से प्रकरण का निस्तारण करें और विचारण न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.11.2010 को अपास्त किया। विचारण न्यायालय ने न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 28.04.2017 की पालना में पुनः प्रकरण में वादी की ओर से पी0ड0-1 रोशनलाल, पी0ड0-2 जगन्नाथ की साक्ष्य लेखबद्व की तथा प्रतिवादी पक्ष की ओर से डी0ड0-1 मंगतीराम, डी0ड0-2 रेखा के बयान दर्ज कराये और प्रकरण का दिनांक 02.02.2023 को निस्तारण करते हुए वादी रोशनलाल द्वारा प्रस्तुत वाद विरुद्व प्रतिवादी मंगतीराम अस्वीकार कर खारिज किया जिससे व्यथित होकर

यह अपील पेश की गई।

बहस अपील सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलार्थी का निवेदन रहा है कि अपीलार्थी रोशनलाल के द्वारा जो अपील प्रस्तुत की गई है वह निर्णय दिनांक 02.02.2023 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है तथा जो निर्णय दिनांक 02.02.2023 को विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया है वह उपलब्ध तथ्यों व विधि के सिद्वांतों के विपरीत पारित किया गया है क्योंकि उक्त वाद पत्र में विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यक संख्या-1, 6 व 7 का निर्णय वादी-अपीलार्थी के विरुद्व पारित किया गया है जिसे पारित कर कानूनी भूल की है तथा विवाद्यक संख्या-1 से जो अनुतोष संबंधित है उससे संबंधित ही विवाद्यक बिन्दू संख्या-6 व 7 है और जिस विवादित गली का मामला विचारण न्यायालय के समक्ष उद्भूत हुआ है, वह शामलाती गली थी। वादी के मकान के नजरी नक्शे में वर्णित जो रोशनदान,परनाला लगा हुआ था उसका करीब सन 1995 से ही पानी गिरता चला आ रहा है इस बाबत सुखाधिकार भी वादी को प्राप्त हो गया था और जो जगह तरफ पश्चिम मंगती की बताई गई है, वह मंगती की नहीं होकर शामलाती रही है, मात्र लडामनी के लगा देने से उक्त खाली जगह किसी प्रकार से मंगती की नहीं हो सकती है। विवाद्यक बिन्दू संख्या-1, 6 व 7 के विषय में विचारण न्यायालय द्वारा जो मत व्यक्त किया गया है वह पूर्णतः विधि के विपरीत है क्योंकि तथाकथित शामलाती गली का अस्तित्व व उपभोग जब वादी का मकान बना हुआ था तब से ही करता चला आ रहा है और वादी के मकान के तरफ पश्चिम उक्त मकान के ऊपर लगे हुए रोशनदान व परनाले से पानी गिरता चला आ रहा है। वादी के द्वारा अपने प्रतिवाद पत्र में जिस प्रकार के कथन किये गये है वे भी कानून के विपरीत है क्योंकि कोई भी रोशनदान लगाने बाबत वादी के पिता अनुमति लिखित में नहीं ली थी वरन शामलाती गली होने के परिणामस्वरुप उक्त रोशनदान व परनाले उक्त गली में ही खुलते है जिनका पानी भी उक्त गली में गिरता था, कभी भी प्रत्यर्थी की लडामनी वादी के लगे हुए मकान के चपेटवा नहीं थी बल्कि वादी के ही स्वामित्व व आधिपत्य की उक्त गली रही है जिसका उपयोग उपभोग करने का उसे पूर्णतः अधिकार वादी को प्राप्त है। अतः विवाद्यक संख्या-1, 6 व 7 के संदर्भ में जिस प्रकार के मत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये है वह उचित नहीं है क्योंकि उक्त रोशनदान का उपयोग वादी करीब 20 वर्षो से करता चला आ रहा है इसलिए वादी को सुखाधिकार भी प्राप्त हो चुका है इसलिए उक्त गली का शामलाती उपयोग

उपभोग करने का अधिकार भी वादी को उत्पन्न हुआ है। साथ ही विवाद्यक बिन्दू संख्या-3 व 4 का जिस प्रकार से निस्तारण किया गया है वह भी विधि के विपरीत है क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि वादी, प्रतिवादी की अनुमति से ही सुखाधिकार के अधिकार का उपयोग करे वरन शामलाती गली का जितना अधिकार प्रतिवादी का है उतना अधिकार वादी को भी है इसलिए सुखाधिकार के सम्बंध में किसी प्रकार का प्रतिवाद करने का अधिकार प्रतिवादी को उत्पन्न नहीं हुआ था इसलिए उक्त वाद-पत्र में विचारण न्यायालय के द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह विधि के विपरीत है तथा विवाद्यक बिन्दू संख्या-1, 6 व 7 जिन्हें विचारण न्यायालय के द्वारा न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम-2, बयाना (भरतपुर) के आदेश दिनांक 28.04.2017 की अनुपालना में विरचित कर उक्त बिन्दुओं पर साक्ष्य लेखबद्व की जाकर पुनः निस्तारण किया गया है, जो विधि अनुरुप नहीं है इससे पूर्व विचारण न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिनांक 01.11.2010 को पारित किया गया था उसमें भी विधिक त्रुटि की थी जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा पुनः सुनवाई हेतु विवाद्यक बिन्दू संख्या-6 व 7 कायम किये जाकर सुनवाई हेतु निस्तारण करने बाबत लौटाया गया था जिस पर वादी द्वारा अपनी सम्पूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत की गई थी इसलिए उक्त वाद पत्र में जो मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत हुई है उससे भी वादी व प्रतिवादी के मकान के मध्य शामलाती गली होना प्रथम दृष्टया साबित है। अर्थात, वादी-अपीलार्थी अपने दावे को संभावित तौर पर विवाद्यक बिन्दू संख्या 1, 6 व 7 तथा विवाद्यक बिन्दू संख्या 2 को साबित करने में सफल रहा है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिनांक 02.02.2023 पारित किया गया है वह विधि के विपरीत है। विवाद्यक बिन्दू संख्या 1, 6 व 7 को पारित करते समय विधिक त्रुटि की है इसलिए वादी-अपीलार्थी की उक्त अपील स्वीकार की जाकर वादी के वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया साथ ही विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 02.02.2023 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया।

उपरोक्त संदर्भ में अधिवक्ता प्रत्यर्थी का निवेदन रहा है कि वादी द्वारा अपने वाद पत्र में ही विरोधाभासी कथन किये गये है जो स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि वादी द्वारा अपने वाद पत्र में उक्त शामलाती गली के उपयोग उपभोग करने के साथ-साथ उक्त गली के विषय में स्वयं को वाद पत्र के चरण क्रम-2 में उक्त गली का सुखभोग अधिकार के रुप में सुखाधिकार का उपयोग करना बताया गया है जबकि सुखाधिकार अधिनियम

के प्रावधानों के मुताबिक सुखाधिकार का अधिकार प्राप्त करने वाले व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति की सम्पत्ति का उस व्यक्ति के स्वामी की अनुमति के बिना उपयोग उपभोग करना आवश्यक है अर्थात, वादी स्वयं के द्वारा उक्त गली के सुखाधिकार का उपयोग करना बताया गया है अर्थात वादी द्वारा कहीं न कहीं प्रतिवादी का स्वामित्व उक्त गली में स्वयं द्वारा ही स्वीकार किया गया है इसलिए दोनों तथ्य एक साथ नहीं हो सकते है क्योंकि सुखाधिकार दूसरे की सम्पत्ति के उपयोग उपभोग करने के अधिकार को कहा जाता है इसलिए उक्त वाद पत्र में सुखाधिकार का अनुतोष चाहने से प्रतिवादी का स्वामित्व स्वतः प्रमाणित है तथा वादी के द्वारा अपनी शहादत के दौरान नजरी नक्शा प्रदर्श-1 अवश्य प्रस्तुत किया गया है परन्तु उक्त गली स्वयं के स्वामित्व व आधिपत्य की रही हो इस विषय में किसी प्रकार की कोई दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है और जहां स्वामित्व को प्रथम दृष्टया स्थापित करने में प्रतिवादी असफल रहा हो वहां बिना स्वामित्व की घोषणा के स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पोषणीय नहीं हो सकता है। वादी के द्वारा विवाद्यक बिन्दू संख्या 1, 6 व 7 साबित किया जाना आश्यित था परन्तु वादी के द्वारा उक्त बिन्दू के समर्थन में स्वामित्व का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जो उक्त गली पर एकाधिकार व वादी का स्वामित्व दर्शित करता हो और न ही वादी का आधिपत्य दर्शित हुआ है जिससे वह उपयोग उपभोग करने के लिए सक्षम हो। पत्रावली पर प्रस्तुत हुई मौखिक साक्ष्य से भी यह स्पष्ट हो चुका है कि वादी व प्रतिवादी के मध्य स्थित उक्त गली शामलाती रही है क्योंकि रोशनलाल जिन्हें पी0ड0-1 के रुप में परीक्षित कराया गया है, ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि दक्षिण की तरफ उनका कमरा व हाल दो मंजिला बने हुए है, कमरा व हॉल की तरफ उत्तर सारी जमीन खाली है तथा मंगती के गैत दक्षिण सीमा पर पक्की लडामनी बनी हुई है तथा गड्डू के ऊपर पाटौर बनी हुई और उनके पिताजी ने सन 1995 में दीवाल ए से बी में लडामनी के पीछे बनाई थी। अर्थात स्वयं वादी रोशनलाल के द्वारा गैत तरफ दक्षिण रोशनलाल का होना तथा उस पर स्वयं के मकान के चपेटवा लडामनी लगी हुई होने के तथ्य को स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार गवाह छोटेलाल, पी0ड0-2 द्वारा भी इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि रोशनलाल की दीवाल के पीछे कोठा वगैहरा है तथा पक्का निर्माण नहीं हो रहा है। इस दीवाल के बगल में मंगती का नौहरा है जो खाली जगह है और दीवाल के चपेटवा पक्की लडामनी मंगती की बनी हुई है। अर्थात, गवाह छोटेलाल द्वारा भी लडामनी मंगती की होने के तथ्य की

पुष्टि की है। इसी प्रकार पी0ड0-3 द्वारा भी लडामनी मंगती की होने तथा गली जिस जगह बताई गई है उस जगह नींव खुदी होने के तथ्य की पुष्टि की है वहीं गवाह पी0ड0-4 द्वारा भी मंगती की तरफ लडामनी व नींव खुदी हुई होना, पाटौर की पटटी गिरकर नींव में पडी होना तथा रोशनलाल के उत्तर में मंगती का गैत होने के तथ्य की पुष्टि की है। इसी प्रकार वादी के द्वारा जो विवाद्यक बिन्दू संख्या-1, 6 व 7 का निस्तारण करते समय विचारण न्यायालय की ओर से कोई विधि या प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं की है परन्तु विधिवत रुप से उक्त विवाद्यक बिन्दू का निस्तारण उभय पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात किया गया है क्योंकि पत्रावली पर प्रस्तुत हुई मौका कमिश्नर रिपोर्ट से भी उत्तरी दिशा की तरफ मंगती की लडामनी होना तथा कुछ ईंट पडी होना तथा कहीं "एक्स" स्थान पर गेट लगा हुआ होने के तथ्य की पुष्टि स्पष्ट तौर पर हुई है इसलिए विवाद्यक बिन्दू संख्या-1, 6 व 7 को वादी-अपीलार्थी अपने पक्ष में साबित करने में संभावित तौर पर असफल रहा है। अर्थात, विवाद्यक बिन्दू संख्या-1, 6 व 7 के समर्थन में विचारण न्यायालय द्वारा जो मत व्यक्त किया गया है उसमें हस्तक्षेप किये जाने की किसी प्रकार की कोई गुंजायश नहीं है इसलिए वादी अपने वाद को साबित करने में असफल रहा है। लिहाजा अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 02.02.2023 को पुष्टि किये जाने का निवेदन किया गया।

उपरोक्त विषय में बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे दर्शित होता है कि उक्त प्रकरण में अपीलार्थी की ओर से मूल रुप से विवाद्यक बिन्दू संख्या 1, 7 व 8 को साबित किया जाना आवश्यक है क्योंकि विवाद्यक बिन्दू संख्या-8 विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 01.11.2010 को पारित निर्णय के विरुद्व अपील किये जाने पर अपर जिला न्यायाधीश क्रम-2 बयाना के द्वारा उक्त अतिरिक्त विवाद्यक कायम किये जाकर वाद पत्र को प्रति प्रेषित किया गया था जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा पुनः उभय पक्षकारान की साक्ष्य लेखबद्व की जाकर उक्त विवाद्यक बिन्दु संख्या-7 व 8 कायम कर प्रकरण का निस्तारण किया गया। अब इस न्यायालय के द्वारा विवाद्यक बिन्दू संख्या 1, 7 व 8 का एक साथ निस्तारण निम्न प्रकार किया जा रहा है।

<u>विवाद्यक बिन्दू संख्या-1, 7 व 8</u>

विवाद्यक बिन्दू संख्या-1 जिसके द्वारा वादी को वाद पत्र के चरण क्रम-2 में वर्णित विवादित स्थल में कोई निर्माण कार्य नहीं करने व

उपयोग उपभोग नहीं करने के सम्बंध में स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अनुतोष चाहा गया है जबकि विवाद्यक बिन्दू संख्या 7 व 8 में नजरी नक्शा में वर्णित ए-बी-सी-डी स्थान वादी व प्रतिवादी के शामलाती होने तथा नजरी नक्शे में वर्णित दीवार ए से सी में वादी के मकान के चार रोशनदान उसके पूर्वजों के समय से कायम होने के तथ्य को साबित किया जाना व सुखाधिकार का अधिकार प्राप्त होकर उपयोग उपभोग करने के तथ्य को साबित किया जाना आश्यित था। उक्त बिन्दू के समर्थन में विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में जिस प्रकार का मत व्यक्त किया गया है तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि वादी व प्रतिवादी के मध्य जो कथित तौर पर शामलाती गली बताई गई है उसके समर्थन में पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि जहां वादी के द्वारा अपना मकान निर्मित किये जाते समय प्रतिवादी के आधिपत्य को स्वीकार करते हुए उक्त गली स्वयं के स्वामित्व व आधिपत्य की पुश्तैनी रिहायशी होना बताया गया है तथा गली तीन फीट चौडी व 49 फीट लम्बी होना दर्शित किया गया है तथा उक्त गली के संदर्भ में वाद-पत्र के चरण क्रम-2 में स्वयं को सुखाधिकार प्राप्त होना तथा प्रतिवादी के द्वारा उक्त गली में नींव खोदकर निर्माण कार्य करने के सम्बंध में कथन अपने वाद-पत्र में किये गये है वहीं प्रतिवादी की ओर से उक्त गली शामलाती नहीं होना बताया जाकर वादी के द्वारा जो रोशनदान वगैरहा लगाये गये थे वह वक्त निर्माण मकानियत प्रतिवादी के पिता ग्यासीराम की अनुमति से लगाया जाना तथा आवश्यकता होने पर उक्त रोशनदान व परनालों को हटाने के संदर्भ में कथन करना बताया गया है। इस संदर्भ में वादी की ओर से जो विवाद्यक बिन्दू के समर्थन में अपनी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की है उसमें नजरी नक्शा प्रदर्श-1 अवश्य प्रस्तुत किया गया है परन्तु वादी की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह स्पष्ट तौर पर दर्शित होता हो कि उक्त विवादित गली जो कि तरफ उत्तर वादी व प्रतिवादी की खाली जगह के मध्य स्थित रही हो। वरन पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट हुआ है कि उक्त गली वादी के स्वामित्व की किसी प्रकार की गली नहीं थी वरन पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि उक्त गली के संदर्भ में हालांकि प्रतिवादी के द्वारा भी किसी प्रकार की कोई ठोस स्वामित्व के विषय में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है परन्तु जो मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत हुई है उससे यह स्पष्ट तौर पर साबित हुआ है कि वादी व प्रतिवादी के मध्य कथित तौर पर गली का अस्तित्व कभी नहीं रहा है वरन वादी की तरफ उत्तर मंगती का खाली गैत व

वादी की दीवाल के चपेटवा प्रतिवादी की लडामनी बनी हुई थी तथा उक्त गैत का उपयोग उपभोग बाबत तरफ पूरब व पश्चिम "एक्स" स्थान पर दरवाजा रहा है तथा प्रतिवादी के गड्डुओं के ऊपर पाटौर बनी हुई थी जो गिर जाने पर उसे दुरुस्त कराने पर नींव खोदे जाने पर वादी के द्वारा उक्त कार्य को रुकवाने के प्रयोजन से उक्त वाद प्रस्तुत किया गया है। जहां दस्तावेजी साक्ष्य स्वामित्व के सम्बंध में प्रस्तुत नहीं है वहां मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया जाना आवश्यक है इस संदर्भ में वादी की ओर से प्रस्तुत की गई मौखिक साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि स्वयं वादी रोशनलाल द्वारा जिरह के दौरान इस कथन को स्वीकार किया है कि यह बात सही है कि मंगती के गैत के दक्षिण सीमा पर पक्की लडामनी बनी हुई है तथा गड्डू के ऊपर पाटौर बनी हुई है और उनके पिताजी ने सन 1995 में दीवार ए से सी पर लडामनी बनायी थी। यह बात भी सही है कि दक्षिण की सीमा पर उनकी दीवाल से चपेटा मंगती की पक्की लडामनी लगी हुई है जो ईंट व सीमेंट की बनी हुई है और खूंटे भी गढे हुए है जिन पर प्रतिवादी मंगती के पशु बांधते है तथा मंगती के गैत के निकास वाली जगह पर योगेश पंच व हमारे चबूतरे के बीच ईंटो का फर्श मंगती ने करा रखा है। यह सही है कि योगेश पंच व उनके चबूतरे के बीच गली कायम है तथा आज से तीन साल पहले वर्षात में मंगती के गैत में बनी पाटौर गिर गई थी तथा उस पाटौर का मलवा अब भी गैत में पडा हुआ है, पट्टी टूटी हुई है तथा मंगती द्वारा निर्माण कार्य करते समय नींव खोदी गई थी। अर्थात स्वयं वादी के द्वारा रोशनदान लगे होना अवश्य बताया गया है परन्तु गली शामलाती होने के तथ्य की पुष्टि नहीं कर मंगती के स्वामित्व की गली होने के तथ्य को स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार गवाह पी0ड0-2 छोटेलाल के द्वारा भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उक्त मकान हरी व रोशन के बंट में आया था तथा दोनों के मध्य दीवाल पर मंगती का नौहरा है जो मंगती की जगह है और इस दीवाल के चपेटवा पक्की लडामनी मंगती की बनी हुई है। उसे पता नहीं है कि सन 1995 में 12-13 वर्ष पहले चिनवाई हो तथा मंगती के गैत के निकास के लिए योगेश पंच व रोशन के मकान के बीच गेट है तथा निकास हेतु 5-6 फीट चौडा दरवाजा मंगती का बना हुआ है। इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि रोशनलाल ने मंगती की तरफ रोशनदान लगा लिया है इसलिए वह गली मानता है जबकि मौके पर कोई गली नहीं है। इसी प्रकार गवाह पूरन पी0 ड0-3 के द्वारा भी तरफ दक्षिण मंगती का गैत होना तथा मंगती की लडामनी होने के तथ्य की पुष्टि की है और उत्तर की तरफ पुख्ता लडामनी

2-4 वर्ष पहले से बनी होना बताया है। उक्त गवाह के द्वारा इस तथ्य की पुष्टि की है कि गली अब भी मौके पर है तथा मंगती के गैत के पश्चिम की तरफ पाटौर रोशनलाल की दीवाल चपेटवा बनी हुई है तथा पाटौर 3-4 वर्ष पहले वर्षात में गिर गई थी तथा मंगती लडामनी और नींव खुदी हुई है। इस संदर्भ में मंगती के गवाहान द्वारा बयान करने से भी यह दर्शित होता है कि गवाह भगवान सहाय द्वारा भी रोशनलाल की तरफ चपेटवा दीवाल पर 15-20 साल से विवादित गैत मंगती का होना तथा पुख्ता पाटौर व लडामनी होने के तथ्य की पुष्टि की है। इसी प्रकार गवाह रेखा के द्वारा भी रोशनलाल की दीवाल 15-20 साल पुरानी है तथा पाटौर व भैंस मंगती की है। लडामनी जो कि रोशनलाल की चपेटवा दीवार के यहां बनी होना बताती है तथा इस तथ्य की पुष्टि नहीं करती है कि रोशनलाल द्वारा मकान बनाते समय कोई अनुमति ली गई हो। इसी प्रकार गवाह रामसहाय द्वारा भी लडामनी चपेटवा दीवार के सहारे बनी होने के तथ्य की पुष्टि की है तथा अपीलीय न्यायालय के आदेश से पुनः परीक्षित हुए गवाह रोशनलाल व मंगती के बयान से स्पष्ट दर्शित होता है कि दोनों के मध्य कभी कोई गली रही हो इस तथ्य की पुष्टि नहीं की है। उक्त वाद पत्र के मुख्य दस्तजावेज मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्रदर्श ए-2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि पक्का मकान रोशनलाल के तरफ उत्तर खाली जगह मंगती की दर्शित है जिसमें "एक्स" स्थान पर गेट लगा होना तथा मंगती के गैत के तरफ दक्षिण लडामनी रोशनलाल की दीवार की चपेटवा लगे होने तथा ईट, पत्थर पडे हुए होने तथा पूरब से पश्चिम गेट होने के तथ्य की पुष्टि होती है। अर्थात विचारणीय बिन्दू संख्या-1, 7 व 8 के समर्थन में पत्रावली पर प्रस्तुत हुई साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि जहां वादी के द्वारा विवाद्यक बिन्दू संख्या-1, 7 व 8 को अपने पक्ष में साबित किया जाना आश्यित था परन्तु उक्त गली के विषय में शामलाती होने तथा स्वयं के स्वामित्व की होना किसी भी प्रकार से साबित नहीं किया गया है वहीं विवाद्यक बिन्दू संख्या 8 में वादी के द्वारा उक्त गली के विषय में सुखाधिकार सम्बंधी कथन किये गये है परन्तु विधिनुसार सुखाधिकार किसी दूसरे व्यक्ति के स्वामित्व शुदा सम्पत्ति पर उसकी अनुमति से किया जाना आश्यित है। अर्थात उक्त अपील में स्वामित्व कहीं न कहीं विवादित गली पर मंगती के होने के तथ्य को वादी स्वयं के द्वारा स्वीकृत किया गया है। **अनाथुल्ला सुधाकर बनाम पी. बूची रेड्डी (2008) 4 एससीसी पेज 494** जरिये विधिक प्रतिनिधि और अन्य में स्थापित किया है कि केवल कब्जे की रक्षा के लिए स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पोषणीय हो सकता है तथा कोई व्यक्ति सतत् तौर

पर शांतिपूर्ण तरीके से किसी सम्पत्ति पर लगातार कब्जा बनाये हुए है तो उसे बिना विधिक प्रक्रिया बनाये बेदखल नहीं किया जा सकता है। इस संदर्भ में यहां सैटल्ड पजैशन की स्थिति को स्पष्ट करना आवश्यक है। सैटल्ड पजैशन (स्थिर एवं शांतिपूर्वक) कानून द्वारा स्थापित होता है, ऐसे व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना बलपूर्वक बेदखल नहीं किया जा सकता है। अर्थात वादी द्वारा अपने मकान की तरफ उत्तर विवादित गली को शामलाती होने व स्वयं का स्वामित्व होने के तथ्य को संभावित तौर पर भली भांति साबित नहीं किया गया है। वहीं स्वयं के स्वामित्व व सुखाधिकार के कथन लिये गये है जो एक दूसरे के विपरीत है। लिहाजा उक्त प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विवाद्यक बिन्दुओं के समर्थन में जिन्हें वादी के द्वारा साबित किया जाना आश्यित था, जो मत दिया गया है वह तर्क पूर्ण व विधिसम्मत है जिनमें हस्तक्षेप किये जाने की कोई गुंजायश नहीं है। अतः उक्त विचारणीय बिन्दूओं का एक साथ निस्तारण कर उक्त बिन्दू अपीलार्थी के विरुद्व व प्रत्यर्थी के पक्ष में विनिश्चत किये जाते है।

विवाद्यक बिन्दू संख्या-2

इस विवाद्यक बिन्दू को साबित करने का भार प्रतिवादी पक्ष पर है। इस विवाद्यक बिन्दू में प्रतिवादी को यह साबित करना है कि विवादित स्थल ए-बी-सी-डी वादी व प्रतिवादी की शामलाती गली नहीं है बल्कि यह प्रतिवादी के गैतबाडे का ही एक भाग है, जिस पर उसका स्वयं का अधिकार है। चूंकि विवाद्यक संख्या-1, 7 व 8 का निस्तारण करते समय यह पाया गया है कि विवादित गली वादी एवं प्रतिवादी की शामलाती नहीं होकर प्रतिवादी के गैतबाडे की भूमि है। उक्त गैतबाडे का प्रतिवादी उपयोग उपभोग कर रहा है। अर्थात, प्रतिवादी संभावित तौर पर वादी व प्रतिवादी के मध्य ए-बी-सी-डी गली को शामिलाती नहीं होने के तथ्य को साबित करने में सफल रहा है क्योंकि विचारणीय बिन्दू संख्या-1 व 7 का निस्तारण करते समय वादी के द्वारा इस तथ्य को भलीभांति साबित नहीं किया गया है कि उक्त गली शामलाती हो वरन मौखिक साक्ष्य से स्पष्ट हुआ है कि विवादित गली का ए-बी-सी-डी भाग जिसमें तरफ उत्तर मंगती के गैतबाडे खाली जगह है तथा रोशनलाल की दीवाल की चपेटवा लडामनी व तरफ पूरब से पश्चिम गेट लगे हुए है तथा पाटौर के गडडू टूटकर गिरे हुए है, ईंट पत्थर पडे हुए है तथा गैतबाडा प्रथम दृष्टया प्रतिवादी के अधिकार का साबित हुआ है इसलिए उक्त विचारणीय बिन्दू का निस्तारण प्रतिवादी के पक्ष में किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

विवाद्यक बिन्दू संख्या 3, 4 व 5

उक्त विवाद्यक बिन्दुओं का सुविधा की दृष्टि से एक साथ निस्तारण किया जा रहा है।

जहां तक विवाद्यक बिन्दू संख्या-3 का प्रश्न है इस सम्बंध में प्रतिवादी द्वारा प्रतिवाद लिया गया है कि वादी के द्वारा दावे में अन्य भाईयों को पक्षकार नहीं बनाया गया है इसलिए नॉन ज्वांइडर ऑफ पार्टीज का दोष विद्यमान होने के कारण वाद खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद पत्र का अवलोकन करने से दर्शित नहीं होता है कि वाद पत्र में वादी के द्वारा अन्य भाईयों की उक्त शामलाती गली रही हो वरन स्वयं वादी के द्वारा उक्त गली को प्रतिवादी मंगती व स्वयं के मध्य शामलाती होने के संदर्भ में कथन किया गया है इसलिए उक्त वाद पत्र में नॉन ज्वॉइंडर ऑफ पार्टीज का प्रतिवाद चलने योग्य नहीं है इसलिए उक्त विचारणीय बिन्दू का निस्तारण अत्यधिक टिप्पणी नहीं करते हुए प्रतिवादी के विरुद्व किया जाकर उक्त बिन्दू प्रतिवादी के विरुद्व निस्तारित किया जाता है।

जहां तक विवाद्यक बिन्दू संख्या-4 का प्रश्न है। उक्त बिन्दू का निस्तारण विवाद्यक बिन्दू संख्या-8 के साथ इस न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय के पैरा संख्या-21 में मत दिया है कि वादी के द्वारा जो रोशनदान व परनाले उत्तर की तरफ बताये गये है, के संदर्भ में सुखाधिकार होना बताया गया है जबकि सुखाधिकार एक देशी प्रक्रिया है जो किसी अन्य की सम्पत्ति पर उसके स्वयं की हैसियत से ही प्राप्त किया जा सकता है। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई है कि वादी को किसी प्रकार का सुखाधिकार प्राप्त हो गया हो। यह सही है कि वादी का उक्त वाद सुखाधिकार के अधिकार के आधार पर चलने योग्य नहीं है। तदनुसान उक्त विवाद्यक बिन्दू को प्रतिवादी अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। तदनुसार उक्त बिन्दू का निस्तारण किया जाता है।

जहां तक विवाद्यक बिन्दू संख्या-5 का प्रश्न है प्रतिवादी द्वारा विशेष हर्जा पांच हजार रुपये प्राप्त करने का स्वयं को अधिकारी होना बताया है परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से स्पष्ट नहीं होता है कि वादी व प्रतिवादी के मध्य कोई गली रही हो। विवादित भूमि प्रतिवादी के गैत का हिस्सा है और ऐसे में प्रतिवादी विशेष हर्जा प्राप्त करने का अधिकार रहा हो ऐसा नहीं पाया जाता है। दूसरी ओर अधिवक्ता वादी ने तर्क दिया है कि स्वयं प्रतिवादी ने वादी के मकान के उत्तर की ओर रोशनदान निकाले हुए है तथा उनका उपयोग उपभोग सुखाधिकार के तौर पर करता चला आ रहा है।

हालांकि वादी अनुतोष को साबित करने में असफल रहा है परन्तु न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि वास्तविक तौर पर गैतबाडा तरफ उत्तर प्रतिवादी स्वयं का है तथा वादी अपने तथ्य को साबित करने में असफल रहा है। परन्तु जहां वादी व प्रतिवादी के मध्य वाद को साबित किया जाना आवश्यक है परन्तु वादी अपने वाद पत्र को साबित करने में असफल रहा है और प्रतिवादी द्वारा प्रतिरक्षा सफल तौर पर की गई है परन्तु उक्त विचारणीय बिन्दू का निस्तारण करते समय प्रतिकर के तौर पर किसी प्रकार का मत इस न्यायालय द्वारा व्यक्त नहीं किया जाकर उक्त विचारणीय बिन्दू का आंशिक तौर पर निस्तारण प्रतिवादी के पक्ष में किया जाना न्यायाचित प्रतीत होता है।

<u>अनुतोष</u>

विवाद्यकों के उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी-वादी की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य पाई जाती है।

<u>आदेश</u>

अतः अपीलार्थी-वादी रोशनलाल की ओर से प्रस्तुत अपील विरुद्व प्रत्यर्थी-प्रतिवादी मंगती प्रस्तुति दिनांक 02.03.2023 अस्वीकार कर खारिज की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय सिविल न्यायाधीश, उच्चैन जिला भरतपुर के दीवानी वाद संख्या 15/2022 वउनवानी रोशनलाल बनाम मंगतीराम में दिनांक 02.02.2023 को पारित आलोच्य आदेश को पुष्ट किया जाता है।

अपील का खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री तैयार किया जावे।

आदेश की प्रति के साथ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली भेजी जावे।

(राजपाल मीना)

निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 18.08.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल मीना)